शीर्ष प्राथमिकता/ फैक्स/ई-मेल
संख्या-403 पी/छः-पु-3-2017- 06पी/2012

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 अप्रैल, 2017

विषयः-प्रदेश के प्रत्येक जनपद में "एण्टी रोमियो स्क्वाड" का गठन और संचालन।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सम्मान के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सभी सार्वजनिक स्थलों यथा चौराहों, बाजारों, मॉल्स, पार्क व अन्य स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने हेतु तथा महिलाओं एवं किशोरियों के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकने हेतु समस्त जनपदों में "एण्टी रोमियो स्क्वाड" के गठन एव संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-338पी/छः-पु-3-2017-06पी/2012, दिनांक 23.03.2017 तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या-डीजी-आठ-81 (अप० अभि०)/2017, दिनांक 22.03.2017 व 25.03.2017 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रकरण में शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन आख्या पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 403 (1)पी/छः-पु-3-2017-06पी/2012 एवं तद दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अनुपालन आख्या तैयार कर टिप्पणी शासन को प्रति माह उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ०प्र०।
3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ०प्र० ।
4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ०प्र०।
5- समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,उ०प्र० ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सी०एल०गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

shashnadesh